Regarding Land Acquisition due to Coal Project and need for rehabilitation and relief package

श्री दुलू महतो (धनबाद) : सभापति महोदय, मैं भी पहली बार चुनकर आया हूं। मैं देश में विशेषकर झारखंड के कोयलांचल में विस्थापितों का ज्वलंत मुद्दा उठाना चाहता हूं। कोयला कंपनियों द्वारा परियोजना विस्तार के क्रम में स्थानीय रैयतों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण के उपरांत उनको नियोजन, मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला है। मामले के निपटारे में कंपनियों द्वारा काफी समय लगता है। आज बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, बीएसएल, डीवीसी में हजारों ऐसे विस्थापितों के मामले हैं, जो दशकों से लंबित पड़े हैं। देश में विशेषकर कोयलांचल में विस्थापितों के मामले में कोयला कंपनियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनियों की कार्य शैली से रैयत अपनी जमीन को देने से मना कर रहे हैं, जिससे कई मेगा प्रोजेक्ट्स लंबित हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट्स का विस्तार नहीं होने से कोयला उत्पादन भी ठप पड़ा हुआ है। मामले का समय पर निपटारा नहीं करने पर कंपनी द्वारा रैयत/भू-स्वामी की जमीन को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। जमीन मालिकों को जमीन के मुआवजे, नियोजन के लिए भटकना पड़ता है। रैयत अपने मुआवजे, नियोजन की मांग को लेकर जब आंदोलन की राह अपनाते हैं तो उन पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाती है और झूठा मुकदमा किया जाता है।

माननीय सभापति : आपकी डिमांड क्या है? आपकी मांग क्या है?

श्री दुलू महतो : सभापति महोदय, मेरी मांग यही है कि उस क्षेत्र में चाहे बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, डब्ल्यूसीएल हो, बीएसएल हो या डीवीसी हो, हजारों-हजार एकड़ जमीन को ले लिया गया है। उनको न मुआवजा दिया जा रहा है और न नौकरी दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि बीएसएल के द्वारा 10 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए 31 हजार एकड़ जमीन ली गई थी। वहां न 10 मेगावाट का प्लांट लगाया गया है, न जमीन उनको वापस की गई है और न उनको मुआवजा दिया जा रहा है। 19 गांव ऐसे हैं, जहाँ की अपनी जमीनें देकर, न वे पंचायत में हैं, न वहाँ पर विकास हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे को गंभीरतापूर्वक लेते हुए निदान किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिले सके और वहाँ के लोगों को मुआवज़ा भी मिल सके।